न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 156/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/331
दायर दिनांक :– 27.09.2024 निर्णय दिनांक :– 19.09.2025

1. सुभाष पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी नेवा कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. मैनादेवी पत्नी राजकुमार जाति विश्नोई निवासी नेवा कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. कोजाराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी रणजीतपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
2. जोराराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी रणीतपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
3. नरपतराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी रणजीतपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
4. बागाराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी हिम्मतनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी

–प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

वादी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 187/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187/2 रकबा 1.2141 हैक्टेयर एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम खसरा नम्बर 187/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 187/7 रकबा 1.2141 हैक्टेयर भूमि सहरद मौजा नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। वादग्रस्त काश्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर आबाध रूप से चला आ रहा है। वादीगण ने बकायदा राजकोष में शुल्क जमा कराकर तहसील बाप के कार्यालय से आदेश प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि की पैमाईश रूबरू पड़ोसियान करवाकर माफिक राजस्व अभिलेख नक्शा की तरमीम माफिक सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2019 को करवाया था। वादीगण ने पैदाईश की पालना में न्यायालय उपखंड अधिकारी बाप में पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र संख्या 5/2023 उनवान मैनादेवी बनाम राज्य सरकार व प्रार्थना संख्या 6/2023 उनवान सुभाष बनाम राज्य सरकार पेश कर दिनांक 12.07.2023 को माफिक पैदाईश रिर्पोट पत्थरगढ़ी करने के आदेश तहसीलदार बाप पर करवाये, और आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका पर पत्थरगढ़ी का कार्य सुचारू करवाया गया। वादग्रस्त कास्त भूमि के पड़ौसी खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 या 3 द्वारा वादीगण की वादग्रस्त कास्त भूमि पर जबरन नाजायज कब्जा करने की बदयान्ती से दिनांक 18.09.2024 को वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाई भूमि पर जबरन ट्रैक्टर से अंदर प्रवेश कर पत्थर पट्टीयो व कांटेदार तार को तोड़ कर नष्ट करने लगे एवं संलग्न नजरी नक्शा में दर्शायी भूमि को घेरने की नियत से जबरन कब्जा करने को प्रयास किया। वादीगण के मना करने पर प्रतिवादीगण ने संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाई वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने व बेदखल करने की धमकी देन पर वादीगण ने पुलिस थाना बाप में घटना की प्रथम सुचना रिर्पोट दर्ज करवाई। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की सड़क लगती किमती भूमि पर जबरन कब्जा करने पर

19/9/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

आमादा है। निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार हैं। संलग्न नजरी नक्शा वाद का भाग माना जावे। जिसका यह वाद वादीगण पेश है। दिनांक 18.09.204 को प्रतिवादीगण द्वारा अपने खसरा संख्या 187/6 की सीमा पार कर वादीगण की वादग्रस्त कास्त भूमि वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी में बताये भूमि पर प्रवेश कर पत्थर पट्टीयों व कांटेदार तार को तोड़ कर नष्ट करने लगे। प्रतिवादीगण को कानूनन रोकना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा कास्त की तरमीमशुदा व बाद पैमाईश न्यायालय आदेश से पत्थरगढ़ी की गई भूमि को जबरन बलपूर्वक कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने में सफल हो जाते है, तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों नहीं आंका जा सकेगा। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की हकदार है। जिसका यह वाद वादीगण पेश है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी संख्या 2 मैनादेवी के बयान पी–डब्लू–1 कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गई।

हमने अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादी संख्या 1 की खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 187/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187/2 रकबा 1.2141 हैक्टेयर एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 4 के नाम खसरा नम्बर 187/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व वादी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 187/7 रकबा 1.2141 हैक्टेयर भूमि सहरद मौजा नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला जोधपुर में स्थित है। वादग्रस्त काश्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर आबाध रूप से चला आ रहा है। वादीगण ने बकायदा राजकोष में शुल्क जमा कराकर तहसील बाप के कार्यालय से आदेश प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि की पैमाईश रूबरू पड़ोसियान करवाकर माफिक राजस्व अभिलेख नक्शा की तरमीम माफिक सीमाज्ञान दिनांक 21.06.2019 को करवाया था। वादीगण ने पैदाईश की पालना में न्यायालय उपखंड अधिकारी बाप में पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र संख्या 5/2023 उनवान मैनादेवी बनाम राज्य सरकार व प्रार्थना संख्या 6/2023 उनवान सुभाष बनाम राज्य सरकार पेश कर दिनांक 12.07.2023 को माफिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढ़ी करने के आदेश तहसीलदार बाप पर करवाये, और आदेश की पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौका पर पत्थरगढ़ी का कार्य सुचारू रूप से करवाया गया। वादग्रस्त कास्त भूमि के पड़ौसी खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 या 3 द्वारा वादीगण की वादग्रस्त कास्त भूमि पर जबरन नाजायज कब्जा करने की बदयान्ती से दिनांक 18.09.2024 को वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा मे दर्शाई भूमि पर जबरन ट्रैक्टर से अंदर प्रवेश कर पत्थर पट्टीयो व कांटेदार तार को तोड़ कर नष्ट करने लगे एवं संलग्न नजरी नक्शा में दर्शायी भूमि को घेरने की नियत से जबरन कब्जा करने को प्रयास किया। वादीगण के मना करने पर प्रतिवादीगण ने संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाई वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने व बेदखल करने की धमकी देन पर वादीगण ने पुलिस थाना बाप में घटना की प्रथम सुचना रिर्पोट दर्ज करवाई। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की सड़क लगती किमती भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार हैं। दिनांक 18.09.204 को

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रतिवादीगण द्वारा अपने खसरा संख्या 187/6 की सीमा पार कर वादीगण की वादग्रस्त कास्त भूमि वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी में बताये भूमि पर प्रवेश कर पत्थर पट्टीयों व कांटेदार तार को तोड़ कर नष्ट करने लगे। प्रतिवादीगण को कानूनन रोकना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जा कास्त की तरमीमशुदा व बाद पैमाईश न्यायालय आदेश से पत्थरगढ़ी की गई भूमि को जबरन बलपूर्वक कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने में सफल हो जाते है, तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों नहीं आंका जा सकेगा। वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की हकदार है।

अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 187/1 रकबा 2.4281 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187/2 रकबा 1.2141 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 187/3 रकबा 2.4281 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 187/7 रकबा 1.1241 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप जिला फलादी में स्थित है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 की तरमीम शुदा भूमि है। जमाबंदी सम्वत 2076–20779 के खाता संख्या 499, 500, 501 में वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 के नाम दर्ज रेकर्ड है। वादीगण ने अपने वाद को साबित करने के ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिस से यह साबित हो सके कि प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी संख्या 4 भी खसरा नम्बर 187/3 के रेकर्डेड संयुक्त खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अपूरणीय क्षति खातेदारों को होगी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं होने एवं प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति वादीगण के पक्ष में नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

(सखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. सुभाष पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी नेवा कानासर तहसील बाप जिला फलोदी
2. मैनादेवी पत्नी राजकुमार जाति विश्नोई निवासी नेवा कानासर तहसील बाप जिला फलोदी

—वादीगण

बनाम

1. कोजाराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी रणजीतपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
2. जोराराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी रणीतपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
3. नरपतराम पुत्र जोराराम जाति विश्नोई निवासी रणजीतपुरा तहसील बज्जू जिला बीकानेर
4. बागाराम पुत्र भींयाराम जाति विश्नोई निवासी हिम्मतनगर तहसील लोहावट जिला फलोदी

—प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :— 156/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर करणीसिंह राठौड़ मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक बाबत्

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख

वसूल याबी तक को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.09.2025 को जारी की गई।

19/9/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुत्फरिक मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।